

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ)बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक/रीडर/2025/ 3730

दिनांक - 10.12.25

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 कलाराम 2 टाउराम 3
धनाराम 4 पूजाराम 5
मासींगाराम पिसरान
गागनराम जातियान मेघवाल
निवासी सोखरु हाल
निवासी सुरा जागीर
तहसील व जिला बाड़मेर।

1 मका खान पुत्र ठाकु खान वगैराह जाति मुसलमान निवासी
सोखरु तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-287/2025

दिनांक- 02/12/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सोखरु पटवार हल्का दुदाबेरी तहसील व जिला बाड़मेर के खेत
खसरा संख्या 274/9 रकबा 12.1406 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी
कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक
तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व
विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में
नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड बाड़मेर

दिनांक-बाड़मेर

10.12.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 3731-34

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी दुदाबेरी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर
नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी कलाराम पुत्र खगागनराम जातियान मेघवाल निवासी सोखरु हाल निवासी सुरा जागीर तहसील व
जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण मका खान पुत्र ठाकु खान वगैराह जाति मुसलमान निवासी सोखरु तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर